सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 187/17 **निर्णय दिनांकः 31.05.2019**

1. राजाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी मेघाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–03–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री लेखराम धतरवाल, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट द्वारा चक 18–551 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 81/23 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना सूचना दिये इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं रहा अतः आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई

नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया अतः अपीलांट का आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 01—06—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा 500/— रूपये की रसीद के साथ दिनांक 14—09—1999 को आवेदन पत्र पेश किया। आवंटन अधिकारी ने भूमि की कीमत की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का नोटिस दिनांक 10—03—2000 को जारी किया गया तथा दिनांक

23—0—2000 तक राशि जमा करवाने का समय दिया गया। अपीलांट का कथन है कि ऐसा कोई नोटिस उसे मिला ही नहीं तथा निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करवाने पर आवेदन खारिज कर दिया गया।

आवेदन जमा करवाने के आगामी 17 साल तक अपीलांट ने अपने आवेदन पर होने वाली कार्यवाही या राशि जमा करवाने के बारे में कोई पड़ताल नहीं की। आवेदक का कथन है कि उसने इस संबंध में छत्तरगढ़, बीकानेर तथा पूगल स्थित कार्यालयों से जानकारी चाही परन्तु उसे कोई जानकारी नहीं दी। 17 साल की लम्बी अवधि के दौरान किसी भी कार्यालय से पत्र व्यवहार या परिवाद पेश करने का अपीलांट ने कोई सबूत पेश नहीं किया है। आवेदन के संदर्भ में किसी भी स्तर पर सम्पर्क करने या भूमि की कीमत जमा करवाने के संबंध में किये गये प्रयास का कोई स्पष्ट उल्लेख अपीलांट ने नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वह आवेदन जमा करवाने के बाद आगामी 17 साल तक अपने आवेदन के प्रति तटस्थ रहा तथा अकस्मात् अपील पेश करते हुए 17 साल पुराने अधिकारों के पुनर्स्थापन का प्रयास किया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक राज्य सरकार किसी आवेदक का इंतजार नहीं कर सकती। आवेदित भूमि पर अन्य व्यक्तियों के अधिकार स्थापित होना स्वाभाविक हैं अपीलांट द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त में विलम्ब के कारण संतोषजरक नहीं होने तथा अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज योग्य की जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 23—03—2000 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर